



सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर के मुख्य आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER, CUSTOMS & CENTRAL TAX,
विशाखापटनम क्षेत्र VISAKHAPATNAM ZONE

प्रथम तल, जीएसटी भवन, पत्तन क्षेत्र, विशाखापटनम - 530035
 1st Floor, GST Bhavan, Port Area, Visakhapatnam - 530035
 (P): 0891-2568837 (F) 0891-2561942 ccu-cexvzg@nic.in



दिनांक : 06.05.2021

जन सूचना सं. 01/2021

विषय: राज्य सरकारों द्वारा अधिकृत कुछ कोविड -19 राहत सामग्री के आयात पर निर्दिष्ट शर्तों के साथ आईजीएसटी से तदर्थ छूट संख्या 04/2021 दिनांक 30.06.2021 तक मान्य - के संबंध में।

आयातकों/सीमा शुल्क दलालों एवं अन्य हितधारकों का ध्यान केंद्र सरकार के तदर्थ छूट आदेश संख्या 04/2021-सीमा शुल्क दिनांक 03.05.2021 (अनुलग्नक-ए) और सीबीआईसी निर्देश संख्या 09/2021-सीमा शुल्क दिनांक 03.05.2021 (अनुलग्नक -बी) की ओर आकर्षित किया जाता है।

2. कोविड राहत के अन्तर्गत भारत में कहीं भी मुफ्त वितरण करने के लिए, मुफ्त में प्राप्त सामान पर आईजीएसटी से तदर्थ छूट प्रदान की जाती है। राज्य सरकार या किसी भी संस्था या संस्था, राहत एजेंसी या सांविधिक निकाय, जो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है, कोविड राहत के उद्देश्य से उनके द्वारा उक्त माल का मुफ्त आयात किया जाना है।

3. तदर्थ छूट केवल अधिसूचना संख्या 27/2021- सीमा शुल्क यथा संशोधित अधिसूचना संख्या 29/2021-सीमा शुल्क (अनुलग्नक-सी) और अधिसूचना संख्या 28/2021-Customs (अनुलग्नक- डी) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर ही लागू होता है। अधिसूचना संख्या 27/2021-सीमा शुल्क मूल और अधिसूचना संख्या 28/2021-सीमा शुल्क, सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकरण से छूट दी गई थी जबकि आईजीएसटी को तदर्थ छूट आदेश संख्या 04/2021-सीमा शुल्क दिनांक 03.05.2021 के तहत दी गई थी।

4. आयात के समय, आयातक सीमा शुल्क से माल की निकासी से पहले, निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक -ई) में राज्य सरकार के नोडल प्राधिकारी से जारी एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के आदेश G.O.Rt.सं.194, दिनांक - 05.05.2021 (अनुलग्नक -एफ) द्वारा निम्नलिखित अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया है, जो कोविड राहत वस्तुओं के मुफ्त आयात के लिए प्राधिकार प्रमाण पत्र जारी करेंगे: -

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पदनाम	मेल आईडी	मोबाइल नं.
1	श्री मुद्दाद रवि चंद्रा, भा.रा.से.	सरकार के प्रधान सचिव, एचएम एवं एफ डब्ल्यू विभाग	nodalaphmfw@gmail.com	9676444448

5. सीमा शुल्क और केन्द्रीय कर, विशाखापत्तनम क्षेत्र में ऐसी राहत सामग्री के आयात के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है:

क्रमांक	गठन का नाम	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	मेल आईडी	मोबाइल नं.
1.	विशाखापटनम क्षेत्र	श्री वाई. भास्कर राव, भा.रा.से. संयुक्त आयुक्त	y.bhaskararao@gov.in	8297974912
2.	सीमा शुल्क विशाखापटनम	श्री जोसेफ गौडा पाटील, भा.रा.से उप आयुक्त	Joseph.gouda@gov.in	9000511327
3.	कृष्णापटनम, सीमा शुल्क	सुश्री पी. माधुरी, भा.रा.से. उप आयुक्त	Perumalla.madhuree@gov.in	8096943746
4.	काकीनाडा सीमा शुल्क	श्री रामकृष्ण राजू यादव, भा.रा.से. संयुक्त आयुक्त	Ramakrishnarajuyadav@gmail.com	9440135324

6. नोडल प्राधिकारी द्वारा अधिकृत संबंधित आयातक/ऐसे आयातक के सीमा शुल्क दलाल ब्रोकर, किसी भी सहायता के लिए नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और नोडल अधिकारी आयात के उद्देश्य के लिए संबंधित मामले में आवश्यकतानुसार जमीनी स्तर की सुविधा का समन्वय करेंगे। इसके अलावा, इस तरह के आयात से संबंधित सभी सीमा शुल्क अधिकारी और कर्मचारी बिना समय गंवाए निर्बाध निकासी सुनिश्चित करेंगे और इस उद्देश्य के लिए अन्य हितधारकों के साथ आवश्यकतानुसार समन्वय भी करेंगे।

7. राज्य के नोडल अधिकारियों और सभी संबंधित हितधारकों के साथ प्रभावी समन्वय द्वारा, उक्त विषय में अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले कोविड राहत सामग्री की संगत सीमा में तत्काल निकासी सुनिश्चित करने के लिए, सीमा शुल्क के सभी संबंधित अधिकारियों के लिए यह स्थायी आदेश होगा।

8. सभी व्यापार संघों से अनुरोध है कि इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें। व्यापार जगत के सामने आने वाली किसी भी कठिनाई को अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाया जा सकता है।

9. इसे प्रधान मुख्य आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता.
(वाई. भास्कर राव)
संयुक्त आयुक्त (मु.आ.का.)

प्रतिलिपि :

1. प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क सदन, विशाखापत्तनम।
2. आयुक्त, सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक), विजयवाड़ा।
3. सूचना पटल।
4. तकनीकी अनुभाग, मुख्य आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट में अपलोड करने के लिए।